सं0 फा0 2(24)-ई-III(ए)/70

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 1976
पौष, 1897 (शक)

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- कुछ संस्थापित केन्द्रीय सेवाएँ श्रेणी । के पदोन्नत अधिकारियों को अतिरिक्त वेतन की मंजूरी का वापस लिया जाना ।

....

मुझे उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के तारीख 13-1-1971 और 12-10-1972 के इसी संख्या के कार्यालय ज्ञापनों का संदर्भ देने का निदेश हुआ है जिनमें उल्लिखित कुछ परिस्थिति और स्थितियों में कुछ संस्थापित सेवाओं के सदस्यों को 2 अतिरिक्त वेतन-वृद्धियों की स्वीकृति दी गई थी । 12-10-1972 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 3 में यह निर्धारित किया गया था कि स्वीकृत किया गया लाभ केवल अंतरिम किस्म का है और तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों को देखते हुए उसकी समीक्षा की जानी है ।

2. भारत सरकार ने 1-1-1973 से स्वीकृत वेतनमान को कनिष्ठ और वरिष्ठ समय-वेतनमान में निर्धारित करने के लिए तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों को पहले ही स्वीकार करके कार्यान्वित कर लिया गया है । 1-1-1973 से कनिष्ठ और वरिष्ठ समय-वेतनमान के लागू होने से इस बात के कोई आधार नहीं रहे हैं जिनके कारण विभागीय पदोन्नत अधिकारियों को उप महालेखाकार (अथवा उसके समकक्ष पदों) के जैसे समूह-कार्यभारों पर उनकी नियुक्ति होने पर अथवा जिन श्रेणी । सेवाओं में समूह-कार्यभार विद्यमान नहीं हैं उनमें तीन वर्ष की सेवा पूरी कर लेने पर विभागीय पदोन्नत अधिकारियों को दो अतिरिक्त वेतन-वृद्धियों की अनुमति देने की प्रथा को बनाए रखना न्यायोचित ठहरता हो । इसलिए स्थिति की सावधानी-पूर्वक समीक्षा कर लेने के पश्चात् राष्ट्रपति जी ने यह निर्णय किया है कि तारीख 13-1-1971 और 12-10-1972 के कार्यालय ज्ञापनों के उपबन्ध 1-1-1973 से वापस ले लिए गए हैं ।

3. जहाँ तक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा में काम करने वाले व्यक्तियों का सम्बन्ध है ये आदेश भारत के नियंत्रक तथा लेखा महापरीक्षक के साथ परामर्श करके जारी किए गए हैं ।

पी॰ एस॰ वेन्कटेस्वरन

(पी0 एस0 वेंकटेश्वरन)
उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग आदि ।
(अँग्रेजी पाठ में दी गई सूची के अनुसार)